राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः पं. 4(1) राजकॉम्प प्रोजेक्ट/न्याय/2021/20 जयपुर, दिनांक : 13.01.2022

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/
   शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. जिला कलक्टर
   (जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

विषयः– लाईट्स सॉफ्टवेयर में दर्ज न्यायिक प्रकरणों की सूचनाओं को सर्वसाधारण (Public) हेतु प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक पं. 4(1) राजकॉम्प प्रोजेक्ट/न्याय/2016 दिनांक 17.09.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया था, कि "लाईट्स सॉफ्टवेयर (http://lites.law.rajasthan.gov.in) पर राज्य सरकार के विभागों द्वारा दर्ज न्यायिक प्रकरणों की सूचनाओं को सार्वजनिक (Public) करने के लिए प्रदर्शित कर दिया गया है, जिससे उक्त सूचनाऐं/जानकारियाँ सर्वसाधारण को बिना लॉगिन–आई.डी. के उपलब्ध हो गयी है"।

आम नागरिकों की सुविधा हेतु पूर्व में लाईट्स सॉफ्टवेयर में Case information:>Case List में केवल प्रकरण की स्थिति यथा लम्बित/निर्णीत की जानकारी ही प्रदर्शित हो रही थी।

उक्त सूचना को आम नागरिको हेतु अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए इसे प्रदर्शित करने में कुछ परिवर्तन किया गया है। अब प्रकरण के लम्बित होने की स्थिति में आगामी सुनवाई की तिथि तथा प्रकरण के निर्णीत होने की दशा में निर्णय की दिनांक भी प्रदर्शित की जा रही है।

उक्त वर्णन के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है, कि उक्त सुविधा का अनुकूलतम उपयोग करने एवं न्यायिक प्रकरणों से संबंधित सूचनाओं का इन्द्राज/अद्यतन सम्यक रूप से करने के लिए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशत करने का श्रम करें, जिससे सर्वसाधारण को न्यायिक प्रकरणों की अद्यतन सूचना लाईट्स सॉफ्टवेयर पर नियमित रूप से प्राप्त हो सके।

भवदीय

शासन विशिष्ट सचिव